रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112023-250133
CG-DL-E-18112023-250133

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 664] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2023/कार्तिक 26, 1945
No. 664] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2023/KARTIKA 26, 1945

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 847(अ).—नियमों का निम्नलिखित मसौदा, जिसे केंद्र सरकार, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग अधिनियम, 2023 (2023 का 26) की धारा 51(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनको इससे प्रभावित होने की संभावना है और एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा जिस दिन आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हुई है, जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी। आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, श्री राकेश कुमार, उप-निदेशक, नर्सिंग प्रभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा संख्या 504, ए विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली को संबोधित कर भेजे जा सकते हैं या rakesh.vagri84@gov.in और nursing-mohfw@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) ये नियम राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग (सदस्यों, सचिव और स्वायत्त बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति और नामांकन का तरीका, उनके वेतन, भत्ते और सेवा के नियम तथा शर्तें, और संपत्ति, व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक वचनबद्धता की घोषणा) नियम, 2023 कहे जाएंगे।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(a) "अधिनियम" का अभिप्राय राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग अधिनियम, 2023 से है;

(b) "आयोग" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग से है;

(c) "राज्य आयोग" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 23 के तहत गठित राज्य नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग से है;

(d) "धारा" का अभिप्राय अधिनियम की किसी एक धारा से है।

(e) "बोर्ड" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 11 के तहत गठित स्वायत्त बोर्ड से है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

3. **धारा (2) के खंड *(q)* के तहत नर्सिंग और मिडवाइफरी लीडर के लिए योग्यताएं और अनुभव.**—धारा (2) के खंड *(q)* के तहत परिभाषित नर्सिंग और मिडवाइफरी लीडर ऐसा व्यक्ति होगा जो नर्सिंग शैक्षणिक संस्थान का डीन, या नर्सिंग कॉलेज का प्रधानाचार्य या उप-प्रधानाचार्य, या किसी संस्थान या स्वास्थ्य सेवा सुविधा में नर्सिंग और मिडवाइफरी विभाग का नर्सिंग अधीक्षक, या मुख्य नर्सिंग अधिकारी हो; और

(a) किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से नर्सिंग और मिडवाइफरी शिक्षा के किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि धारक हो;

(b) राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में पंजीकृत हो; और

(c) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विष्वविद्यालय या स्वास्थ्य सेवा सुविधा से नर्सिंग और मिडवाइफरी क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और 4 वर्ष प्रशासनिक पद पर रहा हो।

4. **धारा (4) के खंड *(h)* और *(i)* के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रवार वितरण.**—राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रवार वितरण निम्नानुसार होगाः

(a) उत्तरी क्षेत्र में 04 राज्य और 04 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे यानि; हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, और लद्दाख।

(b) मध्य क्षेत्र में 04 राज्य शामिल होंगे यानि; छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश।

(c) पूर्वी क्षेत्र में 04 राज्य शामिल होंगे यानि; बिहार, झारखंड, ओडिशा, और पश्चिम बंगाल।

(d) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 08 राज्य शामिल होंगे यानि; असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और सिक्किम।

(e) पश्चिमी क्षेत्र में 03 राज्य और 01 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे यानि; गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव।

(f) दक्षिणी क्षेत्र में 05 राज्य और 03 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे यानि; आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और लक्षद्वीप।

5. **धारा 4 के खंड *(g)* के तहत आयोग के सदस्यों को नामित करने का तरीका.—**(1) सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों या प्रतिष्ठित नर्सिंग और मिडवाइफरी संस्थानों से नामित किया जाएगा।

(2) रिक्ति होने की स्थिति में, जिसमें मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण शामिल हैं, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार किसी अन्य व्यक्ति को जल्द से जल्द, लेकिन तीन माह से पहले, खोज एवं चयन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति केवल दो वर्ष की शेष अवधि के लिए खोज एवं चयन समिति का सदस्य बना रहेगा।

6. **धारा 4 के खंड *(h)* के तहत आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का तरीका.—**(1) सदस्यों को, जो राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद से नीचे के नहीं होंगे, नियम (4) में परिभाषित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रवार वितरण के अनुसार, द्विवार्षिक रोटेशन के आधार पर छः क्षेत्रों में से एक-एक नियुक्त किया जाएगा।

(2) प्रत्येक क्षेत्र से सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा तय की गई तिथि पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामित व्यक्तियों में से ड्रॉ द्वारा किया जाएगा।

(3) सदस्य के चयन के लिए छः क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले छः ड्रॉ बॉक्सों में से प्रत्येक से केवल एक पर्ची का चयन किया जाएगा। इस प्रकार चयनित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अगले चक्र की ड्रॉ प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा और उसे एक चक्र के अंतराल के बाद ही अनुमति दी जाएगी।

(4) लॉटरी का ड्रॉ प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अलग-अलग नाम वाली समान आकार, रंग और डिजाइन की पेपर पर्चियों के साथ आयोजित किया जाएगा, जिन्हें इस तरह से मोड़ा जाएगा कि गोपनीयता बनी रहे।

(5) ड्रॉ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की उपस्थिति में निकाला जाएगा।

(6) राज्य आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में, राज्य सरकार राज्य आयोग से किसी अन्य सदस्य को तब तक के लिए नामित करेगी जब तक कि राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसी नए पदाधिकारी का चयन नहीं हो जाता। ऐसे मामले में राज्य आयोग का नवचयनित अध्यक्ष स्वतः ही शेष अवधि के लिए आयोग का सदस्य बन जाएगा।

(7) यदि राज्य आयोग निष्क्रिय है या अस्तित्व में नहीं है, तो ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ड्रॉ प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे और तदनुसार ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पर्चियां ड्रॉ बॉक्स में शामिल नहीं की जाएंगी।

(8) खंड *(h)* के तहत चयनित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश धारा 4 के खंड *(i)* के तहत सदस्य के चयन के लिए ड्रॉ प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे।

7. **धारा (4) के खंड *(i)* के तहत आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का तरीका.—**(1) सदस्यों को नियम (4) में परिभाषित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रवार वितरण के अनुसार, दो वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर, छः क्षेत्रों में से एक-एक नियुक्त किया जाएगा। आयोग के लिए सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नामित करेंगे।

(2) प्रत्येक क्षेत्र से सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा तय की गई तिथि पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामित व्यक्तियों में से ड्रॉ द्वारा किया जाएगा।

(3) सदस्य के चयन के लिए छः क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले छः ड्रॉ बॉक्सों में से प्रत्येक से केवल एक पर्ची का चयन किया जाएगा। इस प्रकार चयनित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अगले चक्र की ड्रॉ प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा और उसे एक चक्र के अंतराल के बाद ही अनुमति दी जाएगी।

(4) लॉटरी का ड्रॉ प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अलग-अलग नाम वाली समान आकार, रंग और डिजाइन की पेपर पर्चियों के साथ आयोजित किया जाएगा, जिन्हें इस तरह से मोड़ा जाएगा कि गोपनीयता बनी रहे।

(5) ड्रॉ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की उपस्थिति में निकाला जाएगा।

(6) संयोगवष रिक्ति होने की स्थिति में, जिसमें मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण भी शामिल हैं, राज्य सरकार जल्द से जल्द, लेकिन तीन माह से पहले, आयोग में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित करेगी। इस प्रकार नामित व्यक्ति राज्य की केवल दो वर्ष की शेष अवधि के लिए आयोग में सदस्य बना रहेगा।

(7) राज्य सरकार, आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति की सिफारिश करने से पहले, खुद को संतुष्ट करेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे आयोग के सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(8) केंद्र सरकार, चार वर्ष की अवधि पूरी होने से तीन माह पहले, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आयोग में सदस्य के रूप में एक व्यक्ति को नामित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए लिखेगी।

(9) खंड *(i)* के तहत चयनित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश धारा 4 के खंड *(h)* के तहत सदस्य के चयन के लिए ड्रॉ प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे।

8. **धारा 4 के खंड *(j)* और *(l)* के तहत आयोग के सदस्य की नियुक्ति का तरीका.—**सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक रिक्ति के लिए खोज एवं चयन समिति द्वारा अनुशंसित कम से कम तीन व्यक्तियों के पैनल से नियुक्त किया जाएगा।

9. **धारा 4 के खंड *(k)* के तहत आयोग के सदस्य की योग्यता, अनुभव और चयन का तरीका.—**(1) सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा उन धर्मार्थ संस्थानों में से नियुक्त किया जाएगा जो प्राथमिक, माध्यमिक या तृतीयक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कम से कम 15 वर्ष से संचालन में हो, और वहनीय स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के सीधे वितरण में संलग्न हो।

(2) **योग्यता और अनुभवः** उत्कृष्ट योग्यता, प्रमाणित प्रशासनिक क्षमता और निष्ठा रखने वाला ऐसा व्यक्ति, जो किसी भी विष्वविद्यालय से नर्सिंग और मिडवाइफरी के किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि धारक हो तथा नर्सिंग और मिडवाइफरी क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष के अनुभव हो जिसमें से कम से कम 4 वर्ष नर्सिंग और मिडवाइफरी लीडर के रूप में हों।

10. **आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु खोज एवं चयन समिति के लिए धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड *(b)* और *(c)* के तहत विशेषज्ञों को नामित करने का तरीका.—**केंद्र सरकार खोज एवं चयन समिति का हिस्सा बनने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगी। विशेषज्ञों की नियुक्ति एक बार में दो वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।

(2) रिक्ति होने की स्थिति में, जिसमें मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण शामिल हैं, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार किसी अन्य व्यक्ति को जल्द से जल्द, लेकिन तीन माह से पहले, खोज एवं चयन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति केवल दो वर्ष की शेष अवधि के लिए खोज एवं चयन समिति का सदस्य बना रहेगा।

11. **आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते.—**(1) आयोग के अध्यक्ष को देय वेतन 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स में लेवल-15 में भारत सरकार के अपर सचिव के वेतन के बराबर होगा। धारा 4 के खंड *(i), (j), (k)* और *(l)* के तहत सदस्यों को देय वेतन 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 में भारत सरकार के निदेशक के वेतन के बराबर होगा।

बशर्ते कि, जहां आयोग के अध्यक्ष या धारा (4) के खंड *(i), (j), (k)* और (*l)* के तहत आयोग के सदस्य सरकारी, अर्ध-सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों से सेवानिवृत्त व्यक्ति हों, उनको प्राप्त पेंशन या टर्मिनल लाभों के पेंशन मूल्य, या दोनों के साथ देय वेतन अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होगा।

(2) यदि उप-नियम (1) में बताए गए आयोग के अध्यक्ष या सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में हैं, तो उनके वेतन और भत्ते उन पर लागू नियमों के अनुसार या उप-नियम (1), जो भी अधिक हो, के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि जहां, अध्यक्ष या सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की सेवा में हैं, आयोग में उनकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के रूप में मानी जाएगी।

12. **महंगाई भत्ता.—**(1) आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, केंद्र सरकार में समकक्ष स्तर के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य दरों पर अपने वेतन के अनुरूप महंगाई भत्ते के हकदार होंगे।

(2) आयोग के पदेन सदस्यों का महंगाई भत्ता उनके मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।

13. **यात्रा भत्ता.—**(1) आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, केंद्र सरकार में समकक्ष स्तर के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य दरों पर अपने वेतन के अनुरूप उचित दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

(2) आयोग के पदेन सदस्यों का यात्रा भत्ता उनके मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।

(3) आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते से संबंधित अपने बिलों के संबंध में अपने स्वयं के नियंत्रक अधिकारी होंगे।

14. **अवकाश.—**आयोग के अध्यक्ष और धारा (4) के खंड *(i), (j), (k)* और (*l)* के तहत नियुक्त आयोग के सदस्य इसके हकदार होंगे-

(a) समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य अर्जित अवकाश, अर्ध-वेतन अवकाश और संचयी अवकाश; और

(b) समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत केंद्र सरकार के अस्थायी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य विषेष अवकाश।

15. **अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी.—**(1) केंद्र सरकार अध्यक्ष को अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी।

(2) अध्यक्ष धारा (4) के खंड *(i), (j), (k)* और (*l)* के तहत नियुक्त आयोग के सदस्यों, जिसमें सचिव भी शामिल है, को अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

16. **अंशदायी भविष्य निधि.—**(1) आयोग के अध्यक्ष और धारा (4) के खंड *(i), (j), (k)* और (*l)* के तहत नियुक्त आयोग के सदस्य अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे, जहां सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के तहत सदस्यता लेने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

(2) आयोग के अध्यक्ष और धारा (4) के खंड *(i), (j), (k)* और (*l)* के तहत नियुक्त आयोग के सदस्य, उनके द्वारा आयोग में प्रदान की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और ग्रेच्युटी के हकदार नहीं होंगे।

17. **बैठक शुल्क.—**आयोग के पदेन सदस्य और सदस्य, आयोग की बैठक के प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपए बैठक शुल्क के हकदार होंगे।

18. **आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा संपत्ति, व्यावसायिक और वाणिज्यिक वचनबद्धता या भागीदारी की घोषणा.—**(1) आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के फॉर्म A में संपत्ति और देनदारियों की रिटर्न दाखिल करेंगे।

(2) आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य अपनी पहली नियुक्ति पर और कार्यालय छोड़ने के समय उक्त अनुसूची के फॉर्म B में अपनी व्यावसायिक और वाणिज्यिक वचनबद्धता या भागीदारी की घोषणा करेंगे।

19. **आयोग के सचिव.—**(1) आयोग के सचिव को देय वेतन 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स में लेवल-14 में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतन के बराबर होगा।

बशर्ते कि, जहां आयोग का सचिव सरकारी, अर्ध-सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों से सेवानिवृत्त व्यक्ति हो, उनको प्राप्त पेंशन या टर्मिनल लाभों के पेंशन मूल्य, या दोनों के साथ देय वेतन अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होगा।

(2) आयोग के सचिव के पास निम्नलिखित योग्यताएं और अनुभव होंगे, यानि:-

(i) किसी भी विष्वविद्यालय या संस्थान से अधिमानतः नर्सिंग या सार्वजनिक स्वास्थ्य या स्वास्थ्य सेवा नीति या स्वास्थ्य प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि;

(ii) वर्तमान कैडर या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदाधिकारी हो;

(iii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 या उसके समकक्ष 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ या

(iv) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 या उसके समकक्ष या उससे ऊपर 10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ;

(v) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी वैधानिक निकाय या मान्यता प्राप्त संगठन या संस्थान में उसकी संबंधित सेवा या पेशे में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव और साथ ही कम से कम 7 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो;

(vi) सचिव की नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) **आयोग के सचिव का कार्यकाल.**—आयोग का सचिव चार वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेगा और साठ वर्ष की आयु होने के बाद, जो भी पहले हो, पद पर नहीं रहेगा।

(4) **सचिव द्वारा संपत्ति, व्यावसायिक और वाणिज्यिक वचनबद्धता या भागीदारी की घोषणा.**—आयोग के सचिव इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के फॉर्म । में संपत्ति और देनदारियों की रिटर्न दाखिल करेंगे।

20. **केंद्रीय सेवा नियमों द्वारा शासित.**—आयोग के अध्यक्ष, सचिव और सभी अंशकालिक सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान सीसीएस नियम 1972 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।

(2) आयोग के सचिव अपनी पहली नियुक्ति पर और पद छोड़ने के समय उक्त अनुसूची के फॉर्म ठ में अपनी व्यावसायिक और वाणिज्यिक वचनबद्धता या भागीदारी की घोषणा करेंगे।

21. **धारा 10 की उप-धारा (2) के खंड *(o)* के तहत स्वायत्त बोर्डों के निर्णय के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार.**— स्वायत्त बोर्डों के निर्णयों के खिलाफ अपील की सुनवाई का तरीका आयोग तय करेगा:

बशर्ते कि, जहां किसी स्वायत्त बोर्ड के निर्णय के खिलाफ अपील दायर की जाती है, ऐसे स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष अपील की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे।

22. **धारा 12 की उप-धारा (6) के तहत सदस्यों को चुनने का तरीका.**—(1) धारा (4) के खंड *(h)* के तहत चयनित कुल छः सदस्यों में से तीन सदस्य प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अंशकालिक सदस्य होंगे। इन सदस्यों का चयन धारा (4) के खंड *(h)* के तहत चुने गए छः सदस्यों में से ड्रॉ द्वारा किया जाएगा।

(2) नियम 6 में परिभाषित छः चयनित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की पर्चियों को एक अलग ड्रॉ बॉक्स में रखा जाएगा और प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के दूसरे अंशकालिक सदस्य का चयन करने के लिए छः पर्चियों में से तीन पर्चियां उठाई जाएंगी। पहली पर्ची के माध्यम से चयनित सदस्य नर्सिंग एंड मिडवाइफरी असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के दूसरे अंशकालिक सदस्य का प्रतिनिधित्व करेगा, दूसरी पर्ची के माध्यम से चयनित सदस्य नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेषन बोर्ड के दूसरे अंशकालिक सदस्य का प्रतिनिधित्व करेगा और तीसरी पर्ची नर्सिंग एंड मिडवाइफरी अंडरग्रेजुएट एंड पोस्टग्रेजुएट बोर्ड के दूसरे अंशकालिक सदस्य का प्रतिनिधित्व करेगी।

(3) ड्रॉ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा।

(4) सदस्यों का कार्यकाल धारा (4) के खंड *(h)* के तहत आयोग की सदस्यता के साथ समाप्त होगा और सदस्यों के रिक्त पदों को भरने को नियम 6 के उप-नियम (6) और उप-नियम (7) में परिभाषित अनुसार विनियमित किया जाएगा।

23. **धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड की रिक्तियों को भरने का तरीका.—**(1) स्वायत्त बोर्ड की रिक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा रिक्त होते ही प्रत्येक रिक्ति के लिए खोज एवं चयन समिति द्वारा अनुशंसित कम से कम तीन व्यक्तियों के पैनल से नियुक्त किया जाएगा।

(2) खोज एवं चयन समिति, स्वायत्त बोर्डों के रिक्त पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए जल्द से जल्द लेकिन तीन माह से पहले बैठक बुलाएगी।

24. **स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते.—**(1) धारा 13 की उप-धारा (3) के तहत स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन क्रमषः वेतन मैट्रिक्स में लेवल-14 में भारत सरकार के संयुक्त सचिव और वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 में भारत सरकार के निदेशक के वेतन के बराबर होगा। स्वायत्त बोर्ड के अंशकालिक सदस्य बोर्ड की बैठक के प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपए बैठक शुल्क और लागू यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

बशर्ते कि, जहां स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष या धारा 13 की उप-धारा (3) के तहत स्वायत्त बोर्ड के सदस्य सरकारी, अर्ध-सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों से सेवानिवृत्त व्यक्ति हों, उनको प्राप्त पेंशन या टर्मिनल लाभों के पेंशन मूल्य, या दोनों के साथ देय वेतन अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होगा।

(2) यदि उप-नियम 1 में बताए गए स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में हैं, तो उनके वेतन और भत्ते उन पर लागू नियमों के अनुसार या उप-नियम (1), जो भी अधिक हो, के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरणः इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि जहां, स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की सेवा में हैं, आयोग में उनकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के रूप में मानी जाएगी।

25. एक स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवाओं के नियम और शर्तें नियम 12 के उप-नियम (1), नियम (13) के उप-नियम (1) और (2), नियम (14), नियम (16) के उप-नियम (1) और (2), और नियम (18) के तहत परिभाषित के अनुसार, जैसा कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के मामले में लागू हैं, शासित होंगी।

26. **अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी.—**आयोग का अध्यक्ष स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों को अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

27. **भारतीय उपचर्या परिषद् के कर्मचारियों के रोजगार की समयपूर्व समाप्ति के लिए मुआवजा.—**(1) आयोग, आयोग के गठन की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर पूर्ववर्ती भारतीय उपचर्या परिषद् के कर्मचारियों की समयपूर्व समाप्ति मुआवजे पर निर्णय लेगा।

(2) पूर्ववर्ती भारतीय उपचर्या परिषद् के कर्मचारी जिन्हें आयोग द्वारा अनुबंध के आधार पर रोजगार के लिए नहीं लिया गया है, उन्हें समाप्ति के समय तीन माह के वेतन के बराबर अग्रिम राशि का भुगतान किया जाएगा, जो कुल मुआवजे से काट लिया जाएगा।

(3) पूर्ववर्ती भारतीय उपचर्या परिषद् के कर्मचारी जिन्हें आयोग द्वारा अनुबंध के आधार पर रोजगार के लिए नहीं लिया गया है, उन्हें पूर्ववर्ती भारतीय उपचर्या परिषद् में उनकी नियुक्ति के समय उनकी सेवाओं के नियम और शर्तों के अनुसार लागू पेंशन लाभ सहित मुआवजा पैकेज का भुगतान किया जाएगा।

28. **धारा 10 की उप-धारा (2) के खण्ड *(p)* के अंतर्गत आयोग के अन्य अधिकार.—**धारा 10 में निर्दिष्ट आयोग के अधिकारों और कार्यों के अलावा, आयोग-

(a) देश में नर्सिंग शिक्षा की लागत को कम करने के लिए अध्ययन करेगा;

(b) शिक्षा की लागत को कम करने और इसे और अधिक सुलभ बनाने की दृष्टि से आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने, बुनियादी ढांचे के गहन उपयोग, संकाय साझाकरण, वितरित अस्पतालों के रूप में वैष्विक प्रथाओं का सुझाव देने पर विचार करेगा; और

(c) धारा 52 की उप-धारा (1) के तहत परिकल्पित पिछले प्रकाशन की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और अन्य हितधारकों, जैसे एषोसिएषन ऑफ नर्सिंग प्रोफेषनल्स और रोगी अधिकार निकायों, जिसमें आम जनता भी शामिल है, से परामर्श करने के बाद, और तीस दिन की अवधि के लिए आयोग की वेबसाइट पर मसौदा विनियमों को रखकर और प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार करके नियम बनाएगी। विनियमन का अंतिम मसौदा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से जांच के लिए विधायी विभाग को भेजा जाएगा।

(d) जब तक आयोग के लिए पद स्वीकृत नहीं हो जाते और उक्त पदों के लिए नियमित भर्ती नहीं हो जाती, तब तक अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करेगा, जो कि भारतीय उपचर्या परिषद् की वर्तमान स्वीकृत संख्या से अधिक नहीं होगी।

(e) आयोग द्वारा लिए गए प्रत्येक प्रमुख निर्णय की एक प्रति अपने सचिव के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजेगा और इसे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

(f) ऐसी जानकारी या रिपोर्ट को समय-समय पर आवश्यक होने पर केंद्र सरकार को भी प्रस्तुत करेगा।

अनुसूची

फॉर्म A

*(*नियम *18* का नियम *1* देखें)

परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा

आयोग के अध्यक्ष/सदस्य/सचिव और स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों की संपत्ति और देनदारियां

A. अचल संपत्ति का विवरण

रिश्ता	जिला, उप-मंडल, तालुक और गांव या शहर जिसमें संपत्ति स्थित का नाम (पूर्ण अवस्थिति और डाक का पता)	संपत्ति, आवास भूमि और अन्य इमारतों का नाम एवं विवरण	निर्माण/ अधिग्रहण की लागत (और वर्ष जब खरीदा गया), मकान के मामले में भूमि की लागत सहित	वर्तमान मूल्य'	कैसे अर्जित किया - खरीद द्वारा, पट्टे पर'', गिरवी रखकर, विरासत में, उपहार में या अन्यथा; अधिग्रहण की तिथि और व्यक्ति(यों) के नाम तथा विवरण के साथ जिससे अधिग्रहीत की गई	संपत्ति से वार्षिक आय	टिप्पणी
खुद							
जीवनसाथी							
आश्रित							

B. चल संपत्ति का विवरण

रिश्ता	संपत्ति का विवरण (कार/मोटरसाइकिल/आभूषण/बैंक/शेयर बाजार/कंपनियों/वित्तीय संस्थानों/बीमा पॉलिसी आदि में निवेश)	अधिग्रहण का तरीका	संपत्ति का क्रय मूल्य	टिप्पणी
खुद				
जीवनसाथी				
आश्रित				

घोषणा

मैं, ... एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विष्वास के अनुसार सत्य और सही है।

ऊपर दी गई जानकारी में किसी भी बदलाव की स्थिति में, मैं नियमों के तहत अध्यक्ष को सूचित करने का वचन देता/देती हूं।

भवदीय,

दिनांकः..... हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

फॉर्म B

(नियम 18 का नियम 2 देखें)

पहली नियुक्ति पर और कार्यालय छोड़ने के समय व्यावसायिक और वाणिज्यिक वचनबद्धता या भागीदारी का विवरण

क्र.सं.	रिश्ता	नाम	घोषणा की तिथि से पिछले तीन वर्ष में धारित व्यावसायिक पद, यदि कोई हो	घोषणा की तिथि से पिछले तीन वर्ष में वाणिज्यिक वचनबद्धता/ भागीदारी, यदि कोई हो
1	खुद			
2	जीवनसाथी			
3	आश्रित-1			
4	आश्रित-2			
5.*	आश्रित-3			

*यदि आवश्यक हो तो और पंक्तियां जोड़ें।

दिनांकः.....

[फा. सं. Z.16015/08/2023-N]

डॉ. विपुल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2023

G.S.R. 847(E).—The following draft of rules which the Central Government, proposes to make, in exercise of powers conferred by section 51(1) of the National Nursing and Midwifery Commission Act, 2023 (26 of 2023) is hereby published for the information of persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public; Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Rakesh Kumar, Deputy Director, Nursing Division, Ministry of Health and Family Welfare, Room No.504, A Wing, Nirman Bhawan, New Delhi, or may be sent through e-mail at rakesh.vagri84@gov.in and nursing-mohfw@gov.in. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to said draft rules, before the expiry of the period so specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

In exercise of the powers conferred by clause (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i)), (j), (k), (o) and (p) of sub section (2) of section 51 of the National Nursing and Midwifery Commission Act 2023 (26 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules,

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the National Nursing and Midwifery Commission (Manner of Appointment and Nomination of Members, Secretary and Members of Autonomous Boards, their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) Rules, 2023.

(2)They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Nursing and Midwifery Commission Act, 2023;

(b) "Commission" means the National Nursing and Midwifery Commission constituted under section 3 of the Act;

(c) "State Commission" means the State Nursing and Midwifery Commission constituted under Section 23 of the Act;

(d) "section" means a section of the Act.

(e) "Board" means Autonomous Board constituted under section 11 of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

3. **Qualifications and experience for a Nursing and Midwifery Leader under clause (q) of Section (2).** – Nursing and Midwifery leader defined under clause (q) of section (2) shall be a person who is the Dean of a nursing educational institution, or Principal or Vice-Principal of a college of nursing, or Nursing Superintendent, or Chief Nursing Officer of the Nursing and Midwifery Department, in any institution or healthcare facility and;

(a) possesses a graduate degree in any discipline of nursing and midwifery education from a recognised University;

(b) registered with the National Register or State Register; and

(c) having experience of not less than 15 years and holding administrative position for 4 years in the field of nursing and midwifery from a recognised institution or University or healthcare facility.

4. **Zonal distribution of the States and Union Territories under clauses (h) and (i) of Section (4). -** The zonal distribution of the States and Union Territories shall be as under:

(a) The Northern Zone shall include 04 States and 04 Union Territories namely; Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, National Capital Territory of Delhi, Chandigarh, Jammu & Kashmir, and Ladakh.

(b) The Central Zone shall include 04 States namely; Chhattisgarh, Uttarakhand, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

(c) The Eastern Zone shall include 04 States namely; Bihar, Jharkhand, Odisha, and West Bengal.

(d) The North-Eastern Zone shall include 08 States namely; Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, Mizoram, Tripura, Meghalaya, and Sikkim.

(e) The Western Zone shall include 03 States and 01 Union Territory namely; Goa, Gujarat, , Maharashtra, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.

(f) The Southern Zone shall include 05 States and 03 Union Territories namely; Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands, and Lakshadweep.

5. **Manner of nominating Members of Commission under clause (g) of section 4.**— (1) The Members shall be nominated by the Central Government for a term of two years from the Central Government hospitals or Nursing and Midwifery Institutions of repute.

(2) In the event of occurrence of vacancy, including by reason of death, resignation or removal, as the case may be, the Central Government shall appoint another person as member to the Search Cum Selection Committee at the earliest but no later than three months. The person so appointed shall remain a Member in the Search Cum Selection Committee only for the remainder of the period of two years

6. **Manner of appointment of Members of Commission under clause (h) of section 4.**— (1) The Members, not below the rank of Chairperson of the State Commission, shall be appointed, one each from the six zones, as per the zonal distribution of States and Union Territories, defined in Rule (4), on biennial rotation basis.

(2) The Members from each zone shall be selected by draw of lots from the nominees of States and Union Territories on such date as may be decided by the Central Government.

(3) A single slip shall be selected from each of the six draw boxes of lots representing six zones. The State or Union Territory so selected shall not participate in the draw process of the next cycle and shall only be allowed after a gap of one cycle.

(4) The draw of lots shall be conducted with paper slips of uniform size, colour and design bearing individual names of each State and Union territories, which shall be folded in such manner so as to preserve the confidentiality.

(5) The draw of lots shall be conducted in the presence of the Union Health Secretary.

(6) In case of vacancy in the office of Chairperson of the State Commission, the State Government shall nominate any other Member from the State Commission until a new incumbent gets selected to the post of Chairperson of the State Commission. The newly selected Chairperson of the State Commission in such case shall *suo-moto* became the member of the Commission for rest of the period.

(7) In case State Commission is non-functional or not in existence, such State or Union Territory shall not participate in the draw process and accordingly slips of such State or Union Territory shall not be included in the draw boxes.

(8) States and Union Territories selected under clauses (h) shall not participate in the draw process for the selection of the Member under clause (i) of the section 4.

7. **Manner of appointment of Members of Commission under clause (i) of section (4).**— (1) The Members shall be appointed one each from the six zones, as per the zonal distribution of States and Union Territories defined in Rule (4), on rotation basis for a period of two years. The State and Union Territory shall nominate Member to the Commission.

2) The Members from each zone shall be selected by draw of lots from the nominees of States and Union Territories on such date as may be decided by the Central Government.

(3) A single slip shall be selected from each of the six draw boxes of lots representing six zones to select the member. The State or Union Territory so selected shall not participate in the draw process of the next cycle and shall only be allowed after a gap of one cycle.

(4) The draw of lots shall be conducted with paper slips of uniform size, colour and design bearing individual names of each State and Union territories, which shall be folded in such manner so as to preserve the confidentiality.

(5) The draw of lots shall be conducted in the presence of the Union Health Secretary.

(6) In the event of occurrence of vacancy, including by reason of death, resignation or removal, the State Government shall nominate another person to represent itself in the Commission at the earliest but no later than three months. The person so nominated shall remain a Member in the Commission only for the remainder of the period of two years of the State.

(7) The State Government shall, before recommending any person for appointment as a Member in the Commission, satisfy itself that such person does not have any financial or other interest which is likely to affect prejudicially his functions as a Member of the Commission.

(8) The Central Government shall, three months before the completion of the period of four years write to the States and Union Territories, to initiate the process of nominating a person as a Member to the Commission.

(9) States and Union Territories selected under clauses (i) shall not participate in the draw process for the selection of the Member under clause (h) of the section 4.

8. **Manner of appointment of the Member of the Commission under clauses (j) and (*l*) of section 4.–**(1) The member shall be appointed by the Central Government from the panel of at least three persons, for each of the vacancy, as recommended by the Search-cum-Selection Committee.

9.**Qualification, experience and manner of selection of the Member of the Commission under clause (k) of section 4.–** (1) The member shall be appointed by the Central Government from amongst the charitable institutions which have been in operation for at least fifteen years in the healthcare system, whether in primary, secondary or tertiary healthcare engaged in direct delivery of affordable healthcare service and education.

(2) **Qualification and experience**: A person having an outstanding ability, proven administrative capacity and integrity, possessing a graduate degree in any discipline of nursing and midwifery from any University and having

experience of not less than 15 years in the field of nursing and midwifery out of which at least 4 years shall be as a nursing and midwifery leader.

10. **Manner of nomination of experts under clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 5 for Search-cum-Selection Committee for appointment of Chairperson and Members of Commission.—** The Central Government shall appoint experts to form part of the Search-cum-Selection Committee. The experts shall be appointed for a period of two years at a time.

(2) In the event of occurrence of vacancy, including by reason of death, resignation or removal, as the case may be, the Central Government shall appoint another person as member to the Search Cum Selection Committee at the earliest but no later than three months. The person so appointed shall remain a Member in the Search Cum Selection Committee only for the remainder of the period of two years.

11. **Salaries and allowances payable to Chairperson and members of Commission**.—(1) The salary payable to the Chairperson of the Commission shall be equivalent to the salary of the Additional Secretary to the Government of India in Level-15 in the 7th CPC pay matrix. The salary payable to the members under clauses (i), (j), (k) and (*l*) of section 4 shall be equivalent to the salary of the Director to the Government of India in Level-13 in the 7th CPC pay matrix.

Provided that where the Chairperson of the Commission or the Members of the Commission under clauses (i), (j), (k) and (*l*) of section (4) are retired persons from Government, semi-Government agencies, public sector undertakings or recognised research institutions, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both, received by them shall not exceed the last pay drawn.

(2) If the Chairperson or Members of the Commission stated at sub-rule (1) are in service of the Central Government or a State Government, their salary and allowances shall be regulated in accordance with the rules applicable to them or as per sub-rule (1), whichever is higher.

***Explanation*:** For the purposes of this sub-rule, it is clarified that where, the Chairperson or Members are in the service of the Central Government or a State Government or Union territory Administration, their appointment in the Commission shall be treated as deputation.

12. **Dearness allowance.**—(1) The Chairperson and every other Member of the Commission, shall be entitled for dearness allowance appropriate to their pay at the rates admissible to officers of equivalent level in the Central Government.

(2) The dearness allowance of ex-officio Members of the Commission shall be borne by their parent Ministry or Department or organisation.

13. **Travelling allowance**.—(1) The Chairperson and every other Member of the Commission shall be entitled to draw travelling allowances and daily allowances at the rates appropriate to their pay admissible to officers of equivalent level in the Central Government.

(2) The travelling allowance of ex-officio Members of the Commission shall be borne by their parent Ministry or Department or organisation.

(3) The Chairperson and every Member of the Commission shall be his own controlling officer in respect of his bills relating to travelling allowances and daily allowances.

14. **Leave.**—The Chairperson of the Commission and Members of the Commission appointed under clauses (i), (j), (k) and (l) of section (4) shall be entitled to—

(a) earned leave, half pay leave and commuted leave as admissible to Central Government servants in accordance with the Central Civil Services (Leave) Rules,1972, as amended from time to time; and

(b) extraordinary leave as admissible to the temporary Central Government servants under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time.

15. **Leave sanctioning authority.—**(1) The Central Government shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

(2) The Chairperson shall be the authority to sanction leave to Members of the Commission appointed under clauses (i), (j), (k) and (l) of section (4) including its Secretary.

16. **Contributory Provident Fund**.—(1) The Chairperson of the Commission and Members of the Commission appointed under clauses (i), (j), (k) and (l) of section (4) shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 where no option to subscribe under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 is available.

(2) The Chairperson of the Commission and Members of the Commission appointed under clauses (i), (j), (k) and (l) of section (4) shall not be entitled to additional pension and gratuity for the service rendered by them in the Commission.

17. **Sitting fee.**—The ex-officio Members and Members of the Commission shall be entitled to a sitting fee of five thousand rupees for each day of sitting of the Commission.

18. **Declaration of assets, professional and commercial engagement or involvement by Chairperson and Members of Commission.**—(1) The Chairperson and every other Member of the Commission shall file return of assets and liabilities in Form A of the Schedule annexed to these rules.

(2) The Chairperson and every other Member of the Commission shall also declare their professional and commercial engagement or involvement on their first appointment and at the time of demitting office in Form B of the said Schedule.

19. **Secretary to Commission**.—(1) The salary payable to the Secretary to the Commission shall be equivalent to the salary of Joint Secretary to the Government of India in Level 14 in the 7th CPC pay matrix.

Provided that where the Secretary to the Commission is a retired person from Government, semi-Government agencies, public sector undertakings or recognised research institutions, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both, received by him shall not exceed the last pay drawn.

(2) The Secretary to the Commission shall possess the following qualifications and experience, namely:—

(i) A post-graduate degree in any discipline preferably related to Nursing or Public Health or Health Care Policy or Health Administration from any University or Institute;

(ii) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department;

(iii) with 5 years regular service in Level 13 in the pay matrix or equivalent thereto or

(iv) with 10 years regular service in Level 12 in the pay matrix or equivalent thereto or above;

(v) having experience in the Central Government or a State Government or any statutory body or recognized organisation or institution of not less than 15 years in his related service or profession alongwith administrative experience of not less than 7 years;

(vi) the upper age limit, for the purpose of the appointment of the Secretary shall not be more than 55 years.

(3)**Term of office of Secretary to Commission**.—The Secretary to the Commission shall hold office for a term of four years and shall cease to hold office after attaining the age of sixty years, whichever is earlier.

(4)**Declaration of assets, professional and commercial engagement or involvement by Secretary**. — (1)The Secretary of the Commission shall file return of assets and liabilities in the Form A of the Schedule annexed to these rules.

20. Governed by Central Services Rules: The Chairperson, Secretary and all part time members of the commission shall be governed by the provisions of the CCS Rules 1972 during their tenure.

(2) The Secretary of the Commission shall also declare his professional and commercial engagement or involvement on his first appointment and at the time of demitting office in Form B of the said Schedule.

21. **Appellate jurisdiction with respect to decision of Autonomous Boards under clause (o) of sub section (2) of section 10.**—Commission to decide the manner of hearing appeals against the decisions of Autonomous Boards:

Provided that where an appeal is filed against the decision of an Autonomous Board, the President of such Autonomous Board shall not participate in the appeal proceedings.

22. **The manner of choosing Members under sub-section (6) of section 12**.— (1) Three members out of the total six members selected under Clause (h) of section (4), shall be the part-time members of each Autonomous Board. These members shall be selected by draw of lots from the six members so selected under Clause (h) of section (4).

(2) Slips of the six selected States or Union Territories as defined in Rule 6, shall be put in a separate draw box and three slips out of the six slips shall be picked up to select second part time Member of each Autonomous Board. The member selected through the first slip shall represent second part time Member of the Nursing and Midwifery Assessment and Rating Board, the Member selected through second slip shall represent second part time Member of the Nursing and Midwifery Ethics and Registration Board and third slip shall represent second part time Member of the Nursing and Midwifery Undergraduate and Postgraduate Board.

(3) The draw of lots shall be conducted in the presence of the Union Health Secretary.

(4) The tenure of the members shall be co-terminus with the membership of the Commission under Clause (h) of section (4) and filling up of vacant positions of the members shall be regulated as defined in sub rule (6) and sub rule (7) of rule 6.

(23) **The manner of filling up of vacancies of each Autonomous Board under sub-section (2) of section 13.**—(1) The Central Government shall fill vacancies of Autonomous Board as soon as they fall vacant from the panel of at least three persons, for each of the vacancy, as recommended by the Search-cum-Selection Committee.

(2) The Search-cum-Selection Committee shall convene meeting at the earliest but no later than three months to recommend suitable candidates for the vacant positions of the Autonomous Boards.

(24) **Salaries and allowances payable to President and Members of the Autonomous Boards.** —(1) The salary payable to the President and Whole Time Members of the Autonomous Board under sub-sections (3) of section 13 shall be equivalent to the salary of the Joint Secretary to the Government of India in Level-14 in the pay matrix and level Director to the Government of India in Level-13 in the pay matrix respectively. Part Time Members of the Autonomous Boards shall be entitled to a sitting fee of five thousand rupees for each day of sitting of the Board and travelling allowances and daily allowances as applicable.

Provided that where the President of the Autonomous Board or the Members of the Autonomous Board under sub-sections (3) of section 13 are retired persons from Government, semi-Government agencies, public sector undertakings or recognised research institutions, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both, received by them shall not exceed the last pay drawn.

(2) If the President and Members of the Autonomous Board stated at sub-rule 1 are in service of the Central Government or a State Government, their salary and allowances shall be regulated in accordance with the rules applicable to them or as per sub-rule (1), whichever is higher.

***Explanation*:** For the purposes of this sub-rule, it is clarified that where, the President and Members of the Autonomous Board are in the service of the Central Government or a State Government or Union territory Administration, their appointment in the Commission shall be treated as deputation.

(25) The terms and conditions of services of the President and Members of an Autonomous Board shall be governed as defined under sub-rule (1) of rule 12, sub-rule (1) and (2) of rule (13), rule (14), sub-rule (1) and (2) of rule (16) and rule (18) as applicable in the case of Chairperson and Members of the Commission.

(26) **Leave sanctioning authority.—**(1) The Chairperson of the Commission shall be the authority competent to sanction leave to the President and Members of the Autonomous Boards.

(27) **Compensation for the premature termination of employment of employees of Indian Nursing Council**.—(1) The Commission shall decide on the premature termination compensation of the employees of the erstwhile Indian Nursing Council within a period of three months from the date of constitution of the Commission.

(2) The employees of erstwhile Indian Nursing Council who are not taken for employment on contract basis by the Commission, shall be paid an advance amount of equivalent to three months' salary at the time of termination, which shall be deducted from the total compensation package.

(3) The employees of erstwhile Indian Nursing Council who are not taken for employment on contract basis by the Commission, shall be paid compensation package including pensionary benefits applicable to them as per the terms and conditions of their services at the time of their appointment in erstwhile Indian Nursing Council.

28. The other powers of the Commission under clause (p) of sub section (2) of section 10.

In addition to the powers and functions of the Commission specified in section 10, the Commission shall—

(a) undertake study to reduce the cost of Nursing education in the country;

(b) consider to suggest, among others, adoption of modern technology, intensive use of infrastructure, faculty sharing, global practices as distributed hospitals with a view to reducing the cost of education and making it more accessible; and

(c) without prejudice to the condition of previous publication envisaged under sub-section (1) of section 52, make regulations after consulting all State Governments, Union territory Administrations and other stakeholders, such as, association of nursing professionals, and patient rights bodies including general public by placing the draft regulations on the website of the Commission for a period of thirty days and considering the objections or suggestions as may be received. The final draft of the regulation shall be sent to the legislative Department for vetting through the Ministry of Health & Family Welfare.

(d) recruit employees on contract basis as per its requirement, not exceeding the present sanctioned strength of the Nursing Council of India, until the posts are sanctioned for the Commission and regular recruitment for the said posts takes place.

(e) endorse a copy of each major decision taken by the Commission to the M/o Health and Family Welfare through its Secretary and publish it on the website of the Commission.

(f) shall also furnish such information or report to the Central Government as may be required from time to time.

SCHEDULE

Form A

[*See sub-rule 1 of rule 18*]

DECLARATION OF ASSETS AND LIABILITIES

Assets and liabilities ofChairperson/ Member/ Secretary of the Commission and President and Members of the Autonomous Boards

A. Details of immovable property

	Name of District, Sub-Division, Taluk & Village or City in which property is situated (full location & postal address)	**Name &Details of Property, Housing, Lands and Other Buildings**	**Cost of construction/Acquirement (and year when purchased) including of land in case of house**	**Present Value***	**How acquired, whether by purchase, lease**, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition & name with details of person(s) from whom acquired**	**Annual Income from Property**	**Remarks**
Self							
Spouse							
Dependent							

B. Details of movable property

	Description of the property *(car/motorcycle/jewellery/ investments in banks/stock markets/ companies/ financial institutions/insurance policies etc.)*	**Mode of acquisition**	**Purchase price of the property**	**Remarks**
Self				
Spouse				
Dependent				

DECLARATION

I,_____hereby declare that the information given above is true and correct to the best of my knowledge andbelief.

In the event of any change in the information given above, I undertake to intimate the Speaker as provided under the rules.

Yoursfaithfully,

Date:
Signature/thumb impression

Form B

[See sub-rule 2 of rule 18]

Statement of professional and commercial engagements or involvement on first appointment and at the time of demitting office

Sl.No.	Relation	Name	Professional position held in last three years from the date of declarations, if any	Commercial engagements / involvement held in last three years from the date of declarations, if any
1	Self			
2	Spouse			
3	Dependent-1			
4	Dependent-2			
5.*	Dependent-3			

* Add more rows, if necessary.

Date…….. Signature……...

[F. No. Z.16015/08/2023-N]

Dr. VIPUL AGGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.18 16:51:42 +05'30'